All letter, zone-1 654

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001 : 2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक 574 /प्रवर्तन जोन–1/18 दिनाँक 18/01/2018

सेवा में,

मै0 शोमित फाईनेंस लि0,
द्वारा श्री अंकित अग्रवाल,
देविका टावर–6, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली–110019

विषयः–खसरा सं0–1148 ग्राम–नूरनगर, गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग (देविका स्काईपर्स) का शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वीकृत मानचित्र सं0–640/जोन–1/2014–15 दिनांक 19.09.2015 से किये गए अतिरिक्त निर्माण को आपके द्वारा शमन कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18.11.2017, शपथ–पत्र एवं शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके शमन आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदया के शमन स्वीकृति आदेश दिनांक 01.01.2018 के अनुसार आपके द्वारा शमन धनराशि रू0 35,27,535/– दिनांक 18.01.2018/19.01.2018 को प्राधिकरण कोष में जमा किये जाने के उपरान्त शमन मानचित्र निम्नलिखित शर्तो के अनुसार निर्गत किया जाता हैः–

1. भू–स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की स्थिति में प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।
2. बाउन्ड्रीवाल का निर्माण रोड वाईडनिंग की भूमि को छोड़कर किया जायेगा।
3. आप द्वारा स्वीकृति से अतिरिक्त किये गए निर्माण को नियमानुसार शमन किया गया है। भवन में अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. स्थल पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व क्रियाशील करना होगा।
5. शमन मानचित्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्रों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
6. कुल पार्किंग की 10 प्रतिशत विजिटर्स पार्किंग के रूप में आरक्षित रखनी होगी।
7. मानचित्र स्वीकृति के समय लगायी गयी समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
8. अग्नि शमन सुरक्षा से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्मित भवन मानचित्र पर अग्नि शमन विभाग गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
9. स्वीकृत पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग के रूप में ही किया जायेगा।
10. बेसमेन्ट में मैकेनिकल वेन्टिलेशन की व्यवस्था करनी होगी।
11. संदर्भित ग्रुप हाउसिंग में 50 पेड़/हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
12. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवां किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिये निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा शमन मानचित्र में दर्शाये गए तथ्यों में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो निर्माणकर्ता एजेन्सी/बिल्डर स्वयं जिम्मेदार होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः–शमन मानचित्र सैट की एक प्रति।

भवदीय

18/01/18

(आर.पी.सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
प्रभारी प्रवर्तन जोन–1

आर0 पी0 सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद [illegible]